आर.ई.–अ.ज.–13

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
हाथी भाटा पावर हाऊस, जयपुर रोड़, अजमेर

क्र.अविविनिलि / अ.एवं. प्र. नि. / अनु. अधीक्षण अभि.(योजना) / फा. No प्र0 3045
दिनांक 30 AUG 2001

परिपत्र

विषयः– वर्ष 2001–2002 में कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

वर्ष 2001–2002 में कृषि कनेक्शन देने के लिए विद्युत निगमों की समन्वय समिति की बैठक दिनांक 01.06.2001 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. सभी वितरण कम्पनियों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कुल 15000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः अधीक्षण अभियन्ता (पवस) यह सुनिश्चित करें कि उनके वृत्त के लिए दिये गये कृषि कनेक्शनों के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कनेक्शन नहीं दिये जायें।

2. (अ) स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिए नये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावें। इस सम्बन्ध में पूर्व में आदेश क्रमांक 1298 दिनांक 20.12.2000 जारी कर दिये गये है। लेकिन जो प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में प्राप्त हो चुके है तथा अभी तक उनके मांग पत्र जारी नहीं किये गये है उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग पत्र जारी कर लक्ष्यानुसार कनेक्शन देनें है । स्पेशल श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में जारी किये गये जिन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि अभी तक जमा नहीं कराई है उन्हें 30 दिवस के अन्दर–अन्दर मांग पत्र की राशि जमा कराने तथा जमा नहीं होनें पर आवेदन पत्र रद्द होनें का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे तथा उक्त समय में राशि जमा नहीं होने पर उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये जावें।

   (ब) वर्ष 2001–2002 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदनों की कट–ऑफ–डेट पिछले वित्तीय वर्ष 2000–2001 पंचायत समितिवार कट ऑफ–डेट ही रहेगी,जिसका विवरण संलग्न है। परन्तु जिन आवेदकों के नाम पिछले वर्ष की कट–ऑफ–डेट में शामिल थे तथा किसी कारणवश डिमाण्ड नोट जारी नहीं हो सके है,उनमें से सभी तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को इसी वर्ष में मांग पत्र जारी करने है।

3. राज्य के अनुसूचित जाति के तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के जितने भी सामान्य श्रेणी कनेक्शन हेतु 31 मार्च 2001 तक प्रार्थना

(14)

पत्र लम्बित है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष 2001–2002 में मांग पत्र जारी करने है।

4. सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने भी प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इसी वित्तीय वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते है उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में ही लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रान्सफोरमेशन चार्जेज रूपये 1450 प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने है। उक्त आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में जिन आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है, उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन देने है।

5. सामान्य एवं स्पेशल श्रेणी के ऐसे आवेदकों को जिनके 11 के.वी. लाईन के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये है तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये है, ऐसे छूट गये आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के वी.आर. सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 प्रतिशत से कम हो गये है तो उनके मांग पत्र इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने है तथा शेष आवेदकों के 11 के.वी. लाईन के जब भी वी.आर. 8 प्रतिशत से कम हो जावें, उनको मांग पत्र तत्काल जारी कर दिये जावें।

6. जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके 'एल फार्म' (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये है, उनको माह का आधार मानते हुए प्राथमिकतानुसार कनेक्शन जारी किये जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ....
3. उप मुख्य अभियन्ता(सी.,एम एण्ड वी.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अजमेर/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.................

अधीक्षण अभियन्ता(योजना)

15

w//f.REorder